19393

C.E. (Procurement)
M.P.P.T.C.L., Jabalpur
11 DEC 2017
R. No. ...

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

CIN: U40109MP2001SGC014880
रजिस्टर्ड आफिसः ब्लाक नं. 2, शक्ति भवन रामपुर,जबलपुर(म.प्र.) 482008 दुरभाष : (0761) 2702036, 2702041
फेक्स : (0761) 2664450, e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/IV/3904 दिनांक 7 DEC 2017

परिपत्र

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न संकायों में, पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मंडल द्वारा आवंटित/कंपनी के स्वामित्व वाले वाहनों का भी संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। वाहनों की श्रेणी के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालन हेतु आवश्यक/अनिवार्य औपचारिकताओं के मापदण्ड यथा–रजिस्ट्रेशन एवं उसका नवीनीकरण (यदि आवश्यक हो), फिटनेश, परमिट, रोड–टैक्स, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र इत्यादि, बनाए गए हैं तथा इनकी समयावधि निर्धारित की गई है। प्रत्येक औपचारिकता हेतु नियत समयावधि हेतु शुल्क का निर्धारण किया गया है। उक्त संबंध में नियत अवधि उपरांत प्रत्येक मापदण्ड हेतु निर्धारित शुल्क के अलावा शास्ति/अधिभार अधिरोपित करने का प्रावधान भी किया गया है। तत्संबंध में निर्णय लिया गया है कि:–

(i) समस्त वाहन प्रभारी अधिकारी पूर्ववर्ती मंडल/कंपनी के अंतरित/स्वामित्व के वाहनों से संबंधित सभी वैधानिक औपचारिकताओं को यथा समय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) जब भी वाहन को पूर्णकालिक आफ द रोड किया जाता है या सर्वे रिपोर्ट किया जाता है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन निरस्त करवाने की कार्यवाही प्रभारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावे। अन्यथा की स्थिति में जो भी पेनाल्टी देय होगी, की संबंधित अधिकारी के वेतन से कटौती की जावेगी।

(iii) वाहन संबंधी किसी भी औपचारिकता में विलंब होने की स्थिति में परिवहन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के अधिभार/शास्ति अधिरोपण की स्थिति में उक्त राशि की वसूली संबंधित वाहन प्रभारी अधिकारी/जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से कटौती के माध्यम से की जा सकेगी।

(iv) कंडिका (ii) एवं (iii) में इंगित परिस्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के वेतन से निर्धारित राशि की कटौती के साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही उक्त अधिकारी के विरूद्ध की जा सकेगी।

(v) तत्संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष सक्षम अनुमोदन उपरांत आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की जानकारी से मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन) कार्यालय को अवगत करायेंगे।

उक्त निर्णयों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

क्रमशः..2..

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/IV/3905 दिनांक 7 DEC 2017

<u>प्रतिलिपि</u>–

1. कार्यपालक निदेशक (सी.आर.ए)/(मा.सं.वि.), म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
2. मुख्य अभियंता (अउदा.–संधारण एवं निरीक्षण)/(परीक्षण एवं संचार)/(अउदा.–निर्माण)/(प्रोक्योरमेंट)/(योजना एवं रूपांकन)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र), म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
3. मुख्य अभियंता (कार्य), म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,जबलपुर।
4. मुख्य अभियंता (ट्रांस.–पूर्व क्षेत्र)/(ट्रांस.–मध्य क्षेत्र)/(ट्रांस.–पश्चिम क्षेत्र), म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
5. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड.जबलपुर।
6. अति.मुख्य अभियंता(आई.टी.–ई.आर.पी.)/(सिविल–ट्रांस), म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड.जबलपुर।
7. संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,जबलपुर।
8. अधीक्षण अभियंता ( ) वृत्त, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,————।
9. कार्यपालन अभियंता ( ) संभाग, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,————।
10. बेबमास्टर, कार्या.–अतिरिक्त मुख्य अभियंता (आई.टी.–ई.आर.पी.), म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
11. निज सचिव, सम्बद्व प्रबंध निदेशक, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
12. निज सचिव, कार्यालय–निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
13. चिकित्सा अधिकारी, (कर्मशाला) संभाग, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, सीहोर।
14. कंपनी सचिव/कल्याण अधिकारी, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
15. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
16. ग्रन्थपाल, म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।

अधीक्षण अभियंता–II
कार्या–मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

S/c